पत्रांक :– खा०प्र० 01/रा०खा०आ०/7–11/2018

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

प्रेषक,

हिमानी पाण्डे,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
गोड्डा।

/राँची, दिनांक –

विषय :– **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना के तहत लापरवाही बरतने के संबंध में।**

प्रसंग :– झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची का पत्रांक–280, दिनांक 16.03.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की नियमावली, 2015 के नियम–10 (i) (ii) के तहत राज्य खाद्य आयोग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को लागू कराना, अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा शिकायत प्राप्त होने पर जाँच किया जाना है।

2. नियम–10 (viii) के तहत राज्य खाद्य आयोग को किसी मामले में उसका विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अग्रेसित करने की शक्ति प्रदत्त है। ऐसा मजिस्ट्रेट, जिसको ऐसा मामला अग्रेसित किया जाता है, अभियुक्त के विरूद्ध उसी प्रकार सुनवाई करेगा मानो वह मामला दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 346 के अधीन अग्रेसित किया जाना है।

3. अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग द्वारा जिला भ्रमण के क्रम में प्रखण्ड सुन्दरपहाड़ी, गोड्डा के राज्य खाद्य निगम के गोदामों के निरीक्षण के क्रम में पाई गई अनियमितता के संबंध में वांछित प्रतिवेदन की माँग की गई थी, जो आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है। इसके लिए आयोग द्वारा खेद प्रकट करते हुए विभाग को पत्र अग्रसारित कर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित किया गया है।

अतः प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में उक्त नियमानुसार त्वरित निष्पादन करते हुए कृत कार्रवाई प्रतिवेदन आयोग को दिनांक 08.04.2022 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाय तथा विभाग को भी अवगत कराया जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(हिमानी पाण्डे),
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– खा०प्र० 01/रा०खा०आ०/7–11/2018 989 /राँची, दिनांक– 05/04/22

प्रतिलिपि– अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, झारखण्ड को उनके पत्रांक–280, दिनांक 16.03.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/4/22
सरकार के सचिव।